उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः 245/कौ.वि.मि./2020—21/पी.एण्ड.ए./का.आ./1656

दिनांकः 28 मई, 2021

कार्यालय—ज्ञाप

विषयः— उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

राज्य संचालन समिति की बैठक दिनांक 30.03.2021 में लिए गए निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन कौशल विकास एंव उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कॉमन नार्म्स के प्राविधानों के अधीन किया जा रहा है।

कॉमन नार्म्स में कौशल प्रशिक्षण हेतु आवासीय व अनावासीय दोनों ही विकल्प अनुमन्य किये गये हैं तथा आवासीय प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षणार्थियों के अवस्थान व भोजन व्यवस्था हेतु मानक भी निर्धारित किये गये है।

कॉमन नार्म्स में वर्णित प्राविधानों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं हेतु भी आवासीय व अनावासीय दोनों ही विकल्पों से प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति पूर्व में ही मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या— 1944/ई0 एण्ड0सी0/कौ0वि0मि0/2017—18 दिनांक 09 सितम्बर, 2017 द्वारा निर्गत करते हुए छात्रावास की स्थापना सम्बन्धी मानक निर्धारित किये जा चुके है।

छात्रावास स्थापना के उक्त कार्यालयादेश द्वारा निर्धारित मानक यथा संशोधित (संलग्नक—1) वर्तमान में भी प्रभावी रहेंगें।

पूर्वानुमोदन

आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उक्त के अभाव में आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। उक्त अनुमोदन प्रत्येक बैच हेतु अपेक्षित नहीं होगा।

बोर्ड

छात्रावास के मुख्य स्थल पर ''लुक एण्ड फील'' का बोर्ड लगा होना आवश्यक है, जिसका प्रारूप **संलग्नक—2** में दिया गया है।

आवास एवं भोजन हेतु भुगतान की दरें

कॉमन नार्म्स यथा संशोधित 01.01.2021 द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत जनपदों में प्रशिक्षणार्थियों के लिए अवस्थान एवं भोजन हेतु निम्न दरें अनुमन्य होगी—

क्र.सं.	श्रेणी	भुगतान दर (दिनांक 01.01.2021 से लागू)
1.	X श्रेणी नगर/टाउन एरिया	रू0 325 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन
2.	Y श्रेणी नगर/टाउन एरिया	रू0 315 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन

3.	Z श्रेणी नगर/टाउन एरिया	रू0 250 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन
4.	ग्रामीण व ऐसे क्षेत्र जो म्युनिसिपल व टाउन एरिया नहीं है।	रू0 220 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन

कॉमन नार्म्स में समय समय पर किये गये संशोधनों के आधार पर उक्त दरें स्वतः संशोधित मानी जाएगी। X, Y व Z श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत जनपदों की सूची संलग्न है **संलग्नक–3**।

प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले भोजन से सम्बन्धी मैन्यू **संलग्नक–4** पर वर्णित है।

छात्रावास में रखी जाने वाली फर्स्ट एड किट का विवरण **संलग्नक–5** पर दिया गया है।

उक्त मानकों के आधार पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा छात्रावास परिसर का स्थलीय निरीक्षण व सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित प्रारूप– **A(1)** संलग्न है।

भुगतान की आवृत्ति

प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षणार्थियों के अवस्थान व भोजन हेतु किये गये व्यय के सापेक्ष मासिक प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, जिसका आगणन आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या व वर्गीकृत श्रेणी के अनुसार जनपद विशेष हेतु कॉमन नार्म्स में अनुमन्य दरों के गुणनफल पर आधारित होगा। भुगतान हेतु दिनों की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

$$\text{भुगतान हेतु दिनों की गणना} = \frac{\text{पाठ्यक्रम अवधि (घण्टे)}}{8} + \text{प्रशिक्षण अवधि में आने वाले रविवार एवं अवकाशों की संख्या}$$

आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ होने पर कोर्स विशेष के लिए अनुमन्य प्रशिक्षण लागत की 30% धनराशि अग्रिम स्वरूप अनुमन्य होगी। शेष 40% धनराशि अग्रिम को समायोजित करते हुए प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् सफल मूल्यांकित प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष भुगतान की जाएगी।

प्रशिक्षण लागत का भुगतान

कॉमन नार्म्स यथा संशोधित दिनांक 01.01.2021 में प्रशिक्षण लागत की कुल धनराशि में से 70% धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् सफल मूल्यांकित प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष देय होगा, जबकि शेष 30% धनराशि का भुगतान सेवायोजित युवाओं के प्रतिशत के आधार पर निम्नानुसार प्रो राटा आधार पर अनुमन्य होगाः–

Sr. No.	Placement Achievements	Payout Linked to Placement
1.	70%	100% (Full Tranche/instalment linked to placement payout)
2.	40-70%	Pro-rata basis
3.	Below 40%	Nil (No payment), penalty as per scheme guidelines

कॉमन नार्म्स के सेवायोजन संबंधी प्राविधान आवासीय तथा अनावासीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षणों के सम्बन्ध में प्रभावी होंगें तथा उक्त दरें समय–समय पर कॉमन नार्म्स के प्राविधानों में किये गये संशोधनों के आधार पर परिवर्तनीय होगी।

आवागमन पर व्यय (To and Fro Transport Cost)

प्रशिक्षणार्थियों के आवागमन पर अनुमन्य व्यय सम्बन्धी प्राविधान पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1944/ई0एण्ड0सी0/कौ0वि0मि0/2017–18 दिनांक 09 सितम्बर, 2017 के अनुसार ही यथावत् रहेंगें, जो निम्नानुसार पुनः उद्धृत हैः–

''कॉमन नार्म्स के अनुसार विशेष स्थानों (उत्तर प्रदेश में तीन जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर व चन्दौली के एल.डब्लू.ई. सम्बन्धित क्षेत्र) के निवासी व दिव्यांगजन, जो अपने जनपद से बाहर आकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें, आवागमन व्यय भुगतान हेतु पात्र होंगे। यह भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम पाँच हजार रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से अनुमन्य होगा।''

उक्त निर्देशों के दृष्टिगत पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1944/ई0एण्ड0सी0/कौ0वि0मि0/2017–18 दिनांक 09 सितम्बर, 2017 यथा सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

28/5/21

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः /कौ.वि.मि./2020–21/पी.एण्ड.ए./का.आ./1656 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
3. समस्त आबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता, (निजी/राजकीय/फ्लैक्सी) उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
5. प्रबंधक (आई0टी0) को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालयादेश पंजिका।
7. गार्ड फाइल।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

छात्रावास हेतु निर्धारित मानक

- पुरूष एवं महिलाओं हेतु अलग–अलग छात्रावास होना चाहिए।
- महिला छात्रावास हेतु महिला वार्डन व पुरूष छात्रावास हेतु पुरूष वार्डन होना चाहिए।
- छात्रावास निजी या किराये के परिसर में स्थापित किया जा सकता है। प्रशिक्षण केन्द्र से छात्रावास की दूरी 1.5 किमी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक दूरी होने की दशा में प्रशिक्षणार्थियों को लाने व ले जाने हेतु वाहन की व्यवस्था प्रशिक्षण प्रदाता को करनी होगी।
- छात्रावास की दीवारों पर उचित ढंग से प्लास्टर कर पेंटिंग अथवा सफेदी की गयी होनी चाहिए।
- कमरे स्वच्छ एवं पर्याप्त हवादार होने चाहिए। कमरे की दीवारों के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत खिड़कियाँ होनी चाहिए।
- छात्रावास में कुल कमरों के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रति सर्कुलेटिंग एरिया (कक्षों के अतिरिक्त स्थान) होना चाहिए।
- कमरों या छतों में कहीं भी दरार नहीं होनी चाहिए।
- किसी भी कक्ष में प्रविष्टि दूसरे कक्ष से होकर न हो। महिला छात्रावास की दशा में इसका अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
- कक्षों के सामने बरामदें की भी उपलब्धता होनी चाहिए।
- सीढ़ियों पर कम से कम तीन फुट ऊँची रेलिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
- महिलाओं एवं पुरूषों हेतु अलग–अलग वॉशबेसिन होने चाहिए। वॉशबेसिन 1:20 तथा बाथरूम व प्रसाधन कक्ष 1:15 के अनुपात में स्थापित होने चाहिए।
- कमरों की छत की ऊँचाई न्यूनतम 10 फीट होनी चाहिए।
- पानी की टंकी चालू हालत में होनी चाहिए।
- बिजली के बोर्ड पूर्णता ढके हुए हो एवं तार लटकते हुए अथवा खुले नहीं होने चाहिए, जिससे करेन्ट या शार्ट सर्किट की सम्भावना न रहे।
- आवासीय कक्ष एवं भोजन के स्थान के ऊपर टीन शेड नहीं होना चाहिए। ऐसा होने की दशा में फॉल्ससीलिंग भी करानी होगी।
- फर्श सीमेन्टेड अथवा टाईल्स युक्त होनी चाहिए।
- आधार बेस्ड बॉयोमैट्रिक मशीन होना अनिवार्य है, जिस पर प्रतिदिन प्रातः 7 बजे एवं रात 10 बजे उपस्थिति दर्ज की जायेगी। पूरी प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने की दशा में प्रशिक्षणार्थी का मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रदाता का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।
- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी हेतु एक चारपाई, एक गद्दा, एक चादर व एक तकिया हो। प्रत्येक कक्ष में साथ ही सामान रखने हेतु एक तालाबंद अलमारी की उपलब्धता होनी चाहिए।

- प्रशिक्षण स्थान एवं आवासीय स्थल पर दिव्यांगजनों हेतु चढ़ने उतरने (Ramp) एवं पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।
- छात्रावास में गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हर आने–जाने वाले का रिकार्ड रखेगा।
- पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के साथ ही पंखों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भोजन कक्ष में प्रति प्रशिक्षणार्थी 4.5 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए।
- रसोई घर में पर्याप्त स्वच्छता होनी आवश्यक है, जिसमें खाद्य सामग्री सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद तरीके से रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- पीने के पानी हेतु आर0ओ0 के साथ ही पानी के नल की व्यवस्था भी होनी चाहिए एवं बर्तन सफाई हेतु अलग नल होना चाहिए।
- छात्रावास में चालू हालत में कम से कम दो पर्याप्त क्षमता युक्त फायर इक्टिंगग्युशर होना चाहिए।
- छात्रावास में शिकायत पंजिका होनी चाहिए। यह ऐसे स्थान पर रखी जाये, जो हर प्रशिक्षणार्थी के लिए सुलभ हो।
- मुख्य द्वार पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा रिकार्डिंग सुविधा के साथ अवश्य होना चाहिए। शेष स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्थापना की जा सकती है।
- आवासीय स्थल पर फर्स्ट एड किट की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
- महिला एवं पुरूष प्रशिक्षणार्थियों हेतु क्रमशः एक महिला एवं पुरूष डाक्टरों के साथ अनुबंध होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षणार्थियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकें।
- छात्रावास में सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर पुलिस, फायर बिग्रेड, एम्बुलेंस एवं अन्य अति आवश्यक सुविधाओं हेतु संबंधित के नम्बर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।
- छात्रावास का पता इंगित करते हुए नोटिस बोर्ड छात्रावास परिसर के बाहर लगा होना चाहिए।
- छात्रावास में मैन्यू बोर्ड में प्रतिदिन दिये जाने वाले नाश्ते व भोजन की सामग्री प्रदर्शित होनी चाहिए।

संलग्नक–2

UP Skill Development Mission

Hostel Centre Name Board

<table>
<tr><td>GoUP Logo</td><td>UPSDM Logo</td><td>TP Logo</td></tr>
<tr><td colspan="3">Name of the TP</td></tr>
<tr><td colspan="3">UPSDM
Uttar Pradesh Skill Development Mission</td></tr>
<tr><td colspan="3">Residential Centre Name
Name of TP
Address of Residential Centre</td></tr>
<tr><td colspan="3">TP helpline no./ Residential Centre No.</td></tr>
</table>

संलग्नक–3

Categorization of Indian cities for Residential Training Costs

S. No.	State	Cities classified as "X"	Cities classified as "Y"
1.	Andhra Pradesh/Telangana	Hyderabad (UA)	Vijayawada (UA), Warangal (UA), Greater Visakhapatnam (M.Corpn.), Guntur (UA), Nellore (UA)
2.	Assam	-	Guwahati (UA)
3.	Bihar	-	Patna (UA)
4.	Chandigarh	-	Chandigarh (UA)
5.	Chhattisgarh	-	- Durg-Bhilai Nagar (UA), Raipur (UA)
6.	Delhi	Delhi (UA)	
7.	Gujarat	Ahmadabad (UA)	Rajkot (UA), Jamnagar (UA), Bhavnagar (UA), Vododara (UA), Surat (UA)
8.	Haryana	-	Faridabad (M.Corpn.), Gurgaon (UA)
9.	Himachal Pradesh	-	-
10.	Jammu & Kashmir		Srinagar (UA), Jammu (UA)
11.	Jharkhand	-	Jamshedpur (UA), Dhanbad (UA), Ranchi (UA), Bokaro Steel City (UA)
12.	Karnataka	Bengalore/Bengaluru (UA)	Belgaum (UA), Hubli-Dharwad (M.Corpn.) Mangalore (UA), Mysore (UA), Gulbarga (UA)
13.	Kerala	-	Kozhikode (UA), Kochi (UA), Thiruvanathapuram (UA), Thrissur (UA), Malappuram (UA), Kannur (UA), Kollam (UA)
14.	Madhya Pradesh	-	Gwalior (UA), Indore (UA), Bhopal (UA), Jabalpur (UA), Ujjain (M.Corpn.)
15.	Maharashtra	Greater Mumbai (UA), Pune (UA)	Amravati (M.Corpn.), Nagpur (UA), Aurangabad (UA),

S. No.	State	Cities classified as "X"	Cities classified as "Y"
			Nashik (UA), Bhiwandi (UA), Solapur (M.Corpn.), Kolhapur (UA), Vasai-Virar City (M.Corpn.), Malegaon (UA), NandedWaghala (M.Corpn.), Sangli (UA)
16.	Meghalaya	-	Shillong
17.	Odisha	-	Cuttack (UA), Bhubaneswar (UA), Raurkela (UA)
18.	Puducherry (Pondicherry)	-	Puducherry/Pondicherry (UA)
19.	Punjab	-	Amritsar (UA), Jalandhar (UA), Ludhiana (M.Corpn.)
20.	Rajasthan	-	Bikaner (M.Corpn.), Jaipur (M. Corpn), Jodhpur (UA), Kota (M. Corpn.), Ajmer (UA)
21.	Tamil Nadu	Chennai (UA)	Salem (UA), Tiruppur (UA), Coimbatore (UA), Tiruchirappalli (UA), Madurai (UA), Erode (UA)
22.	Uttar Pradesh	-	Moradabad (M.Corpn.), Meerut (UA), Ghaziabad (UA), Aligarh(UA), Agra(UA), Bareilly (UA), Lucknow (UA), Kanpur (UA), Allahabad (UA), Gorakhpur (UA), Varanasi (UA), Saharanpur (M.Corpn.), Noida (CT), Firozabad (NPP), Jhansi (UA)
23.	Uttarakhand	-	Dehradun (UA)
24.	West Bengal	Kolkata (UA)	Asansol (UA), Siliguri (UA), Durgapur (UA)

UP Skill Development Mission

Format For Food Specification (Residential Training)

Terms and conditions:

- Meal Serving Time:-
  Breakfast 07:30 – 9:30 HRS
  Lunch12:00-14:00 HRS
  Dinner 19:30-23:30 HRS

Timings can be changed by the PIA in consultation with candidates but duration of service should not be reduced.

- The menu shall be displayed in the dining area as per table given below. Menu will be revised every fortnight jointly by the TP representative and candidate's representative.
- TP shall fill the checklist of served food on daily basis.
- TP shall be providing "Full Diet/Stomach Meal" for lunch and dinner with at least one cereal unlimited.
- Meals should be cooked with freshest possible ingredients.

Menu Specification

MENU ITEMS	
Lunch/Dinner	Dal/Sambhar/Rasam
	Seasonal vegetable
	Rice/Pulao
	Chappatis/Parathas/Puris
Breakfast	Continental as well as Indian foods
	Tea/Coffee/Milk/Curd or any other milk product
Note: If the local cuisine is different the same can be provided in consultation with the students instead of what is given above.	

Note:-

1. The meal will be provided "Full Diet/Stomach" basis for lunch and dinner with at least one cereal unlimited.
2. Egg should be served once a week.
3. Once a week non-vegetarians should be served with muton/Chicken/any other local non vegetarian item and vegetarians should be served special vegetarian items such as Paneer/Mushroom/any other local special vegetarian item.

Checklist for First-Aid Kit

SI. No.	ITEMS	Nos.
A	Instrument	
1	Syringe	2
2	Scissors	2
3	Thermometer (Oral)	1
4	Tweezers	2
B	Bandages	
1	Adhesive Tape	5
2	Elastic Bandages	5
3	Sterile Cotton Balls	4
4	Water Proof Bandages	5
C	Medication	
1	Antacid	5 Strips
2	Antibiotic Ointment	4
3	Antiseptic Ointment	4
4	Insect repellent	2
5	Anti-allergic Tablet	2 Strips
6	Anti-Pyretic (Paracetamol)	2 Strips
7	Anti-Emetics	2 Strips
8	Rehydrates	5
9	Anti-Biotic (Motion)	2 Strips
10	Anti-Spasmodic	2 Strips
D	Miscellaneous	
1	First Aid book	
2	Note Pad	1
3	Pen	1
4	Flash fluorescent light with batteries	1
5	Tissue Pack	1
6	Disposal Gloves	1 pair
7	Soap (Dettol)	1
8	Dettol (Liquid)	1
9	At least Ice Pouch	2
10	Water Bottle	2

SI. No.	ITEMS	Nos.
11	Tissue Pack	2
12	On Call Doctors available near to the Centre - 2 (One female and one male)	
	Doctor 1 : Name, address and phone number	
	Doctor2: Name, address and Phone number	
13	Ivermectine 12 Mg	6 Strips
14	Vitamin C-	6 Strips
15	Zinc Acetate	3 Strips

प्रारूप– A(1)

छात्रावास स्थापना सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....निजी / राजकीय / फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा ______(नाम)______ सैक्टर के अन्तर्गत______(नाम)______जाब रोल में प्रशिक्षण हेतु ________(छात्रावास का पता)________ स्थापित किया गया है।

(2) उक्त छात्रावास परिसर का दिनांक .... को निरीक्षण किया गया तथा छात्रावास परिसर में कार्यालय ज्ञाप संख्या:.......................... दिनांक .... द्वारा निर्धारित समस्त मानकों / प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है।

(3) जाँच में उपरोक्त समस्त व्यवस्थायें उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में उपलब्ध होने के दृष्टिगत उक्त छात्रावास परिसर के फोटोग्राफ संलग्न करते हुए स्वीकृति हेतु अनुमोदन की संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः– छात्रावास परिसर में एमआईएस मैनेजर / जिला समन्वयक की उपस्थितियुक्त फोटोग्राफ।

एमआईएस मैनेजर के नाम सहित हस्ताक्षर	जिला समन्वयक के नाम व मूल पदनाम सहित हस्ताक्षर

Format For Approval of Hostel premise in case of Residential Training

UP Skill Development Mission

Training Provider Name -

Centre/Code Hostel -

Hostel Address -

Tehsil -

Country -

District -

State -

Pin code

Contact Person			
Hostel's Warden (Male)	**Name**	**Mobile No**	**E-Mail**
Hostel's Warden (Female)			

DPMU Inspection		
1.	The Residential premise should have look and feel board as per guidelines	Yes/No
2.	Minimum Space Required for living room @ 25Sqft per trainee	Yes/No
3.	Minimum 10% circulating area (In addition to the above specification)	Yes/No
4.	Provision for Ramp and separate toilet for PwD trainees	Yes/No
5.	Hostel should have a 24x7 security guard	Yes/No
6.	Each room should have proper lighting systems and fans (Covering area 150 ft)	Yes/No
7.	Dining hall should have 4.5 Sqft. area per candidate	Yes/No

	frequently required contacts/ references e.g. DPMU, UPSDM etc.	
30.	All the electric wiring should be concealed no loosely hinging wires should be in the campus	Yes/No
31.	There should be no tin shed in residential or dining area. In case it is there, false ceiling should be done	Yes/No
32.	The floor should be cemented or tiled	Yes/No
33.	The hostel should have Aadhar Based Biometric Attendance System	Yes/No
34.	Each candidate should be provided a cot (3'x6'), A mattress, a bedsheet, a pillow, a quilt (for winters) and an almirah with lock	Yes/No
35.	Hostel should follow the menu as prescribed in the guidelines	Yes/No